आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 701/2023 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड पता ग्यारवीं मंजिल टावर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क गणपतराव कदम मार्ग लोअर पारेल मुम्बई।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1 संजय दत्त शर्मा पुत्र श्री देव दत्त शर्मा
पता– 162/90, आर.एच.जी, प्रताप नगर, जयपुर
एवं 20, बेकसाईड डेयरी कालोनी, दोराई, अजमेर
एवं हाउस नम्बर 40/2, शिव मंदिर, स्वर्ण पथ, मानसरोवर, जयपुर
एवं 194/182, सेक्टर 19, प्रताप नगर, सांगानेर
एवं रेजिडेन्शियल फ्लैट नम्बर ई/III/2 (एलआईजी), स्थित खसरा नम्बर 187, 187/789, 188, 188/790, 189 से 191, 191/791, 192 से 206, 209–219, 221–224, जेडीए जोन–08, नियर सांगानेर रेल्वे स्टेशन, जयपुर
एवं एनालिस्ट डीबीजीओआई ग्लोबल सर्विसेल प्राईवेट लिमिटेड, जीटीओ, बीएमएमसी डिपार्टमेंट, ईवोल्व, महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी सेज, आफ अजमेर हाईवे, जयपुर

2. श्रीमती मीनाक्षी शर्मा पत्नी श्री संजय शर्मा
पता– 162/90, आर.एच.जी, प्रताप नगर, जयपुर
एवं 20, बेकसाईड डेयरी कालोनी, दोराई अजमेर
एवं हाउस नम्बर 40/2, शिव मंदिर, स्वर्ण पथ, मानसरोवर, जयपुर
एवं 194/182, सेक्टर 19, प्रताप नगर, सांगानेर
एवं रेजिडेन्शियल फ्लैट नम्बर ई/III/2 (एलआईजी), स्थित खसरा नम्बर 187, 187/789, 188, 188/790, 189 से 191, 191/791, 192 से 206, 209–219, 221–224 जेडीए जोन–08, नियर सांगानेर रेल्वे स्टेशन, जयपुर

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

उपस्थित :– श्री प्रमोद कुमार अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश दिनांक 30.06.2023

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 19.08.2016 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में **अप्रार्थी श्रीमति मीनाक्षी शर्मा के स्वामित्त्व की सम्पत्ति रेजिडेन्शियल फ्लैट नम्बर ई/III/2 (एलआईजी), स्थित खसरा नम्बर 187, 187/789, 188, 188/790, 189 से 191, 191/791, 192 से 206, 209–219, 221–224 जेडीए जोन–08, नियर सांगानेर रेल्वे स्टेशन, जयपुर कुल क्षेत्रफल 476.83 वर्ग फीट** बन्धक रख कर 3,67,000/– रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 08.02.2023 को रजिस्टर्ड/कोरियर से नोटिस जारी किये। उक्त नोटिस दी इण्डियन एक्सप्रेस व सीमा संदेश अखबारों में साया भी करवाया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगण को कुल राशि 3,67,0004/—रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन.पी.ए. घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 8,27,974/— रूपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 08.02.2023 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में **अप्रार्थी श्रीमति मीनाक्षी शर्मा के स्वामित्त्व की बन्धक सम्पत्ति रेजिडेन्शियल फ्लैट नम्बर ई/III/2 (एलआईजी), स्थित खसरा नम्बर 187, 187/789, 188, 188/790, 189 से 191, 191/791, 192 से 206, 209—219, 221—224 जेडीए जोन—08, नियर सांगानेर रेल्वे स्टेशन, जयपुर कुल क्षेत्रफल 476.83 वर्ग फीट** का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

6. आदेश आज दिनांक 30.06.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)

जिला मजिस्ट्रेट

(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner